ग्राम पंचायत संगडाह, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/ 2006 -12669, दिनांक 07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत संगडाह, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोज़गार सेवक कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्रीमती नीलम	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री दीप राम	01/04/2022 से 31/07/2023
2	श्री जयप्रकाश	01/08/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री संजीव बंसल	01/04/2022 से 31/05/2023

2	श्री सुदामा राम	01/06/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोज़गार सेवक:-

क्रम	नाम	अवधि
1	श्री सत्यानन्द	01/04/2022 से 30/06/2022
2	श्री सुनील कुमार	01/07/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक शेषों में भारी अन्तर	4.2	5.1
2	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	20.26
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	7.1	0.49
4	जी०एस०टी० की कटौती न करना	7.2, 8.5	0.42
5	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	8.1	15.67
6	निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना अनियमित व्यय	8.2	6.86
7	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	8.3	3.39
8	भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	8.4	0.93
9	गणना की त्रुटि के कारण अधिक भुगतान	8.6 व 9.3	0.19
10	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना	8.7	0.06
11	फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान	9.1	3.84
12	निर्माण सामग्री से वॉइड (Voids) की कटौती न करना	9.2	0.22

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत का यह प्रथम अंकेक्षण था।

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत संगडाह, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30/10/2024 से 06/11/2024 तथा 11/11/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/23	06/22
2023-24	09/23	01/24

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत संगडाह, विकास खण्ड संगडाह,जिला-सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 120 दिनांक 11/11/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

4 वित्तीय स्थितिः-

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत संगडाह द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** पर भी दिया गया हैः-

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	3773087.20	10098239	100881	**13972207.20**	8855886.80	**5116320.40**
2023-24	5116320.40	5800321	181227	**11097868.40**	5019520.20	**6078348.20**
दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट-2**						**5568766.82**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर **(₹6078348.20-₹5568766.82) परिशिष्ट-2**						**509581.38**

4.2 ₹5.10 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को ग्राम पंचायत में **परिशिष्ट-2** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹509581.38** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः-

क्रम संख्या	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	36965.38
2	14वां वित्त आयोग (14th FC)	112726
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	139828

4	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	105047
5	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	93275
6	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	21740
	कुल	**509581.38**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 बंद योजनाओं में ₹0.97 लाख की शेष राशि का समाधान न करनाः- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹96916 (परिशिष्ट-1)** की शेष राशि दर्शाई गई थी जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी है । इसके अतिरिक्त इस योजना से सम्बन्धित बैंक खाते भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 पंचायत के स्वः-स्त्रोतों की आय-व्यय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुये बैंक खाते का स्वतन्त्र/पृथक रूप से संचालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव

को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹20.26 लाख उपयोग हेतु शेषः-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को **₹2026225** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित हैः-

क्रम संख्या	**योजना**	**दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)**
1	14वां वित्त आयोग (14th FC)	117622
2	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1683332
3	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	106497
4	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	96916
5	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	21858
	कुल	**2026225**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जाकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त अनुदान ₹23.77 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹2377496** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित हैः-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल राशि (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1888116	489380	**2377496**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि अनुचित है । अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹27.26 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹2725585** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित

आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान राशि से व्यय (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान राशि से व्यय (₹)	कुल राशि (₹)
1	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1180433.8	1515164.2	**2695598**
2	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	29987	0	**29987**
	कुल	**1210420.8**	**1515164.2**	**2725585**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.49 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट- 3 व 4** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत में निम्न विवरणानुसार राजस्व राशि **₹48725** वसूली हेतु शेष थी-

क्रम	विवरण	दिनांक 31/03/2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	गृहकर **(परिशिष्ट- 3)**	3725
2	दुकान/भवन किराया **(परिशिष्ट- 4)**	45000
	कुल	**48725**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 दुकान किराये पर ₹0.15 लाख जी०एस०टी० की वसूली न करना

वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) अधिनियम, 2017 की धारा-9 के अन्तर्गत जी०एस०टी० दरों को जारी सूची अनुसार दुकान किराया प्राप्ति पर नियमानुसार 18% जी०एस०टी० की कटौती उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा दुकानों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान **परिशिष्ट-4** तथा निम्न तालिका अनुसार पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवाकर **₹14580** की माँग व वसूली नहीं की गई थी जोकि वित्तीय अनियमितता है। नियमानुसार उक्त राशि की वसूली उपरान्त इसे सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपेक्षित था:-

विवरण	राशि (₹)	18% की दर से वस्तु एवं सेवाकर राशि (₹)
वर्ष 2022-23 के दौरान दुकान किराये की प्राप्ति	47400	8532
वर्ष 2023-24 के दौरान दुकान किराये की प्राप्ति	33600	6048
कुल		**14580**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव को जी०एस०टी० की मांग व वसूली न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जोकि आपत्तिजनक है । अतः जी०एस०टी० की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 दुकानों के किरायेदारों से अनुबन्ध का कार्यान्वयन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश सं0 पी०सी०एच-एच०पी०(7)10/60 दिनांक 17/09/2008 में ग्राम पंचायत के व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराए पर देने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** अनुसार किराये पर दी गई दुकानों को आबंटित करने से पूर्व कोई अनुबन्ध कार्यान्वित नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व किरायेदारों के साथ अनुबन्ध कार्यान्वित करने के साथ-साथ देय किराये में निर्धारित अवधि उपरान्त बढ़ौतरी का भी प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 एक ही क्रमांक की 5 रसीद बुकें प्रयोग करना:-

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद क्रमांक (1 से 100) की 5 रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी जिससे प्राप्त राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती हैं इसलिए यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

8 व्यय

8.1 ₹15.67 लाख की क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अन्तर्गत स्टॉक /स्टोर के क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। उक्त नियम के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की मात्रा, गुणवता की जाँच करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से फार्म 25 से 28 के अनुरूप स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है तथा यह भी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि स्टॉक /सामग्री को सही अवस्था में प्राप्त किया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-5** में दर्ज विवरणानुसार **₹1567191** के स्टॉक/स्टोर की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही

प्रयोग किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा विवरण में दर्शाई प्रत्येक सामग्री को सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में दर्ज करके प्रधान द्वारा सत्यापित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त सामग्री की खपत विवरणी तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.2 निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹6.86 लाख का अनियमित व्यय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक/स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं जिसमें ₹1000 से अधिक के क्रय हेतु निविदाएं तथा ₹50000 से अधिक के लिए टेंडर आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-6** पर वर्णित विवरण अनुसार **₹685897** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है क्योंकि क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित प्रयोग नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है ।अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

8.3 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹3.39 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि **परिशिष्ट-7** पर वर्णित विवरण अनुसार **₹338817** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि

आपत्तिजनक है। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.4 ₹0.93 लाख के भुगतान बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा तथा नियम 47 (2) के अनुसार प्रत्येक भुगतान बिल/वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करके **परिशिष्ट-8** में वर्णित विवरणानुसार **₹92680** के भुगतान वाउचर/बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 जारी करके आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8.5 स्त्रोत पर ₹0.27 लाख जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती न करना :-

जी0एस0टी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/ फर्म/ संस्था/ स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं एंव वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वितीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% की दर से जी०एस०टी टी०डी०एस की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं व वस्तु हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती राशि **₹27182** का विवरण **परिशिष्ट- 9** पर दर्ज है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः जी0एस0टी टी0डी0एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.6 बिल में गणना की त्रुटि के कारण ₹0.18 लाख का अधिक भुगतान:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान करने से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार बिल में गणना की अंक गणितीय त्रुटि करके **₹18000** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	दर (₹)	भुगतान राशि (₹)	देय भुगतान राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/53 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	926/ 09-09-23	श्री विजेंदर ठाकुर	बजरी/ 15 M^3	3000/ M^3	63000	45000	18000

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः उक्त अधिक भुगतान को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.7 स्त्रोत पर ₹0.06 लाख आयकर की कटौती न करना :-

आयकर अधिनियम की धारा '194 सी' के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor) फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान पर व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा

विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित टी०डी०एस कटौती राशि **₹6289** का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है।

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	बिल राशि (₹)	टी०डी०एस कटौती दर	अपेक्षित कटौती (₹)
1	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/12 02-06-22	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	77	30-03-2021	श्री विजेंदर ठाकुर	जे०सी०बी कार्य	500000	1%	5000
2	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/64 03-01-24	नि0 लिंक रोड मुर्दाघर हस्पताल	81	24-02-2023	श्री विजेंदर ठाकुर	जे०सी०बी कार्य	20000	1%	200
3	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/52 09-01-24	नि0 लिंक रोड टिक्करी मोड शलाह	83	03-01-2024	श्री विजेंदर ठाकुर	जे०सी०बी कार्य	43660	1%	437
				82	03-01-2024	श्री विजेंदर ठाकुर	जे०सी०बी कार्य	47200	1%	472
4	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/53 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	925	02-08-2023	श्री विजेंदर ठाकुर	सीमेंट दुलाई	18000	1%	180
			कुल							**6289**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है । अतः आयकर टी0डी0एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यः-

9.1 फॉर्म 'X' या 'Y' प्राप्त किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को ₹3.84 लाख का अनियमित भुगतानः-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट- 10** में विवरण अनुसार **₹383500** का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 का कोई भीं प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 निर्माण सामग्री से ₹0.22 लाख के वॉइड (Voids) की कटौती न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वॉइड (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से वॉइड (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट- 11** अनुसार **₹22295** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर

प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वॉइड (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 मस्ट्रोल में गणना की त्रुटि के कारण ₹1440 लाख का अधिक भुगतानः-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान करने से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार मस्ट्रोल में गणना की अंक गणितीय त्रुटि करके **₹1440** का अधिक भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है:-

कार्य का नाम – नि० पशुशेड बाबु राम पुत्र श्री हेतराम
योजना का नाम - मनरेगा
माप पुस्तिका संख्या- 238 (पृ० सं० 11)

मस्ट्रोल संख्या	दिनांक	मस्ट्रोल अनुसार कुल कार्य दिवस	मजदूरी दर (₹/दिन)	सही गणना	मस्ट्रौल अनुसार गणना	अधिक भुगतान (₹)
3668	10-01-2024	90	240	21600	23040	1440

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अधिक भुगतान को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण

समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है । अतः उक्त पोर्टल पर पंचायत की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैः-

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	विविध मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
6	बजट प्राक्कलन	11	37
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9	खाता बही	29	7
10	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 119 दिनांक 11/11/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्ष:-** ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्राि

565 – 569   17 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 93/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत संगडाह, विकास खण्ड संगडाह जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

17 JAN 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्राि

परिशिष्ट-1

ग्राम पंचायत संगडाह, डा0 संगडाह, तहसील व विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022–23 व 2023–24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2022-23	3773087.2	10098239	100881	**13972207.2**	8855886.8	5116320.4
2023-24	5116320.4	5800321	181227	**11097868.4**	5019520.2	**6078348.2**

ग्राम पंचायत संगडाह, डा0 संगडाह, तहसील व विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022–23 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
सम्मान निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	1538805.2	5395123	35847	**6969775.2**	4830466	**2139309.2**
14वा वित्त आयोग (14th FC)	117622	0	0	**117622**	0	**117622**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	1861402	1888116	65034	**3814552**	1180433.8	**2634118.2**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	96916	0	0	**96916**	0	**96916**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	136484	0	0	**136484**	29987	**106497**
राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	21858	0	0	**21858**	0	**21858**
मनरेगा	0	2815000	0	**2815000**	2815000	**0**
कुल	**3773087.2**	**10098239**	**100881**	**13972207.2**	**8855886.8**	**5116320.4**

ग्राम पंचायत संगडाह, डा0 संगडाह, तहसील व विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023–24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
सम्मान निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	2139309.2	3856941	106229	**6102479.2**	2050356	**4052123.2**
14वा वित्त आयोग (14th FC)	117622	0	0	**117622**	0	**117622**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	2634118.2	489380	74998	**3198496.2**	1515164.2	**1683332**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	96916	0	0	**96916**	0	**96916**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	106497	0	0	**106497**	0	**106497**
राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	21858	0	0	**21858**	0	**21858**
मनरेगा	0	1454000	0	**1454000**	1454000	**0**
कुल	**5116320.4**	**5800321**	**181227**	11097868.4	**5019520.2**	6078348.2

Secretary
Gram panchyat Sangrah
Dev Block Sangrah
Distt. Sirmour (H.P.)

परिशिष्ट-2

ग्राम पंचायत संगडाह, डा0 संगडाह, तहसील व विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173023 की वर्ष 2022–23 व 2023–24 में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता सं0	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)	अन्तर (₹)
सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510102870	4052123.2	2185801.82	
		56510110933		1829356	
		कुल	4052123.2	4015157.82	36965.38
14वां वित्त आयोग (14th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510111836	117622	4896	112726
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510114784	1683332	1543504	139828
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510112775	106497	1450	105047
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510103898	96916	3641	93275
राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510102837	21858	118	21740
		कुल योग	**6078348.2**	**5568766.82**	**509581.38**

Secretary
Gram panchyat Sangrah
Dev Block Sangrah
Distt. Sirmour (H.P.)

परिशिष्ट-13

ग्राम पंचायत संगडाह, डा0 संगडाह, तहसील व विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173023

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सूचना–

वर्ष 2022–23 के दौरान परिवारों की सं0– 655

वर्ष 2022–23 के दौरान गृहकर की दर– 20 ₹ /परिवार

वर्ष 2023–24 के दौरान परिवारों की सं0– 690

वर्ष 2023–24 के दौरान गृहकर की दर– 25 ₹ /परिवार

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अन्त शेष (₹)
2022–23	25775	13100	38875	0	38875
2023–24	38875	17250	56125	52400	3725

Secretary
G.P. Sangrah
Dev. Block Sangrah

परिशिष्ट-4

ग्राम पंचायत संगडाह, डा0 संगडाह, तहसील व विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173023

दिनांक 31/03/2024 को दुकान व अन्य भवन किराया वसूली सम्बन्धी सूचना–

क्रम	विवरण	मासिक किराया (₹)	गत शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	अन्तशेष/बकाया (₹)
वर्षः 2022–23							
1	श्रीमति मीरा देवी, पंचायत घर दुकान–1	600	0	7200	7200	7200	0
2	श्री मदन सिंह, पंचायत घर दुकान–2	600	600	7200	7800	1800	6000
3	श्री नरेन्द्र सिंह, पंचायत घर दुकान– 3	600	5400	7200	12600	0	12600
4	श्रीमति हेमा देवी, ग्रामीण हाट दुकान–1	800	0	9600	9600	9600	0
5	श्री लायक राम, ग्रामीण हाट दुकान–2	800	0	9600	9600	9600	0
6	श्री दीपक शर्मा, ग्रामीण हाट दुकान–3	800	0	9600	9600	9600	0
7	श्री विक्रम चौहान, ग्रामीण हाट दुकान–4	800	0	9600	9600	9600	0
		कुल	6000	60000	66000	47400	18600

वर्षः 2023–24

क्रम	विवरण	मासिक किराया (₹)	गत शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्ति (₹)	अन्तशेष/बकाया (₹)
1	श्रीमति मीरा देवी, पंचायत घर दुकान–1	600	0	7200	7200	7200	0
2	श्री मदन सिंह, पंचायत घर दुकान–2	600	6000	7200	13200	0	13200
3	श्री नरेन्द्र सिंह, पंचायत घर दुकान– 3	600	12600	7200	19800	0	19800
4	श्रीमति हेमा देवी, ग्रामीण हाट दुकान–1	800	0	9600	9600	9600	0
5	श्री लायक राम, ग्रामीण हाट दुकान–2	800	0	9600	9600	3200	6400
6	श्री दीपक शर्मा, ग्रामीण हाट दुकान–3	800	0	9600	9600	9600	0
7	श्री विक्रम चौहान, ग्रामीण हाट दुकान–4	800	0	9600	9600	4000	5600
		कुल	18600	60000	78600	33600	45000

नोटः
ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी किराएदार से अनुबन्ध कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

Secretary
G.P. Sangrah
Dev. Block Sangrah

क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गयी परिशिष्ट-5

क्रम	योजना	वाउचर सं0/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल सं0	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि (₹)
1	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	SBM/2022-23/P/1 01-06-22	नि0 शौचालय विकास खण्ड संगडाह	2190	28-03-21	आर०एस हार्डवेयर स्टोर	सेनेटरी सामग्री	29987
2	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/10 01-06-22	नि0 सामुदायिक शेड धार टिक्करी	2194	25-03-22	आर०एस हार्डवेयर स्टोर	पेंट सामग्री	6690
3	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/11 01-06-22	नि0 सामुदायिक शेड धार टिक्करी	218	29-03-22	श्री दुर्गा टिम्बर स्टोर	चौखट, आदि	20060
4	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/9 01-06-22	नि0 फुटब्रिज पालर खड	GST/2021-22/1405	14-03-22	महासू ट्रेडर्स	सरीया, आदि	305190
5	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/13 02-06-22	नि0 शौचालय किंकरी पार्क, संगडाह	2108	29-01-22	आर०एस हार्डवेयर स्टोर	सेनेटरी सामग्री	44191
6	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/14 02-06-22	नि0 शौचालय विकास खण्ड संगडाह	2191	28-03-22	आर०एस हार्डवेयर स्टोर	सेनेटरी सामग्री	40179
7	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/15 02-06-22	नि0 फुटब्रिज पालर खड	300	30-03-22	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सिमेंट	61204
8	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/16 02-06-22	नि0 शमशान घाट एस0सी बस्ती डकान	SNG/12/22-23	22-04-22	महासू ट्रेडर्स	सरीया, आदि	248047
9	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/17 02-06-22	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	12	18-04-22	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सिमेंट	100000
10	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/18 02-06-22	नि0 शमशान घाट एस0सी बस्ती डकान	303	10-05-22	श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	रेत व बजरी	38400

11	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/19 02-06-22	नि0 ईन्टरलॉक टाईल मेन रोड से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, हरी चन्द के धर तक	723	20-05-22	हिमालय ट्रेडींग एंड कंस्ट्रक्शन	ईन्टरलॉक टाईल	176351
12	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/20 02-06-22	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	56	20-05-22	राधा रमण	रेत	36000
				57	22-05-22	राधा रमण	बजरी	57600
13	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/21 16-06-22	नि0 ईन्टरलॉक टाईल मेन रोड से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, हरी चन्द के धर तक	60	27-05-22	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सिमेंट	13328
14	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/22 16-06-22	नि0 शमशान घाट एस0सी बस्ती डकान	91	06-06-22	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सिमेंट	14994
15	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/61 01-01-24	नि0 सुरक्षा दिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियुन	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री लेखराम पुत्र श्री मोही राम	पत्थर	30000
16	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/63 03-01-24	मु0 जोहड रावलागढ	527		श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	पत्थर	5000
				526	02-07-23	श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	रेत व बजरी	19500
17	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/65 03-01-24	खरीद बैंच	149	17-01-23	हिमालय एन्टरप्राईस	लोहे के बैंच	50000
18	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/49 09-01-24	नि0 सुरक्षा दिवार वन विभाग संगडाह के समीप	CS047-23-0492053	20-01-24	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला	सिमेंट	73470
19	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/51 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	925	06-10-23	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	रेत	48000
				928	04-09-23	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	रेत	48000

				927	17-09-23	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	बजरी	18000
20	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/53 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	926	09-09-23	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	बजरी	63000
21	सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/66 10-01-24	नि0 सुरक्षा दिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियुन	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री लेखराम पुत्र श्री मोही राम	पत्थर	20000
			कुल					**1567191**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Sangrah
फोन-9736161012

निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना किया गया व्यय

परिशिष्ट-6

क्रम	योजना	वाउचर सं0 / दिनांक	कार्य का नाम	बिल सं0	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि (₹)
1	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	SBM/2022-23/P/1 01-06-22	नि0 शौचालय विकास खण्ड संगडाह	2190	28-03-21	आर०एस हार्डवेयर स्टोर	सेनेटरी सामग्री	29987
2	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/10 01-06-22	नि0 सामुदायिक शेड धार टिक्करी	2194	25-03-22	आर०एस हार्डवेयर स्टोर	पेंट सामग्री	6690
3	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/11 01-06-22	नि0 सामुदायिक शेड धार टिक्करी	218	29-03-22	श्री दुर्गा टिम्बर स्टोर	चौखट, आदि	20060
4	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/8 01-06-22	नि0 सामुदायिक शेड धार टिक्करी	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री सुनील दत्त	खच्चर द्वारा सामग्री ढुलाई	28000
5	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/9 01-06-22	नि0 फुटब्रिज पालर खड	GST/2021-22/1405	14-03-22	महासू ट्रेडर्स	सरीया, आदि	305190
6	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/13 02-06-22	नि0 शौचालय किंकरी पार्क, संगडाह	2108	29-01-22	आर०एस हार्डवेयर स्टोर	सेनेटरी सामग्री	44191
7	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/14 02-06-22	नि0 शौचालय विकास खण्ड संगडाह	2191	28-03-22	आर०एस हार्डवेयर स्टोर	सेनेटरी सामग्री	40179
8	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/20 02-06-22	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	56	20-05-22	राधा रमण	रेत	36000
				57	22-05-22	राधा रमण	बजरी	57600
9	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/61 01-01-24	नि0 सुरक्षा दिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियुन	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री लेखराम पुत्र श्री मोही राम	पत्थर	30000
10	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/65 03-01-24	खरीद बैंच	149	17-01-23	हिमालय एन्टरप्राईस	लोहे के बैंच	50000
11	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/53 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	925	02-08-23	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	सिमेंट ढुलाई	18000
12	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/66 10-01-24	नि0 सुरक्षा दिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियुन	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री लेखराम पुत्र श्री मोही राम	पत्थर	20000
			कुल					685897

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P. Sangrah
फोन-9736161012

पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-7

क्रम	योजना	वाउचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / मस्ट्रौल संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विवरण	राशि (₹)
1	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/5 01-06-2024			सिलेन्डर रिफिल	2106
2	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/18 02-06-22	303/ 10-05-22	श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	नि0 शमशान घाट एस0सी बस्ती डकान हेतू रेत व बजरी का भुगतान	38400
3	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/55 18-01-24			बिजली बिल भुगतान	2061
4	मनरेगा		3662/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 भुमी सुधार कुन्दन सिंह पुत्र श्री शिवाणु	10560
5	मनरेगा		3665/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 भुमी सुधार विनोद पुत्र श्री हीरा सिंह	30720
6	मनरेगा		3666/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु उमा देवी पत्नी गोपाल	30720
7	मनरेगा		3667/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु शेड वेद प्रकाश पुत्र श्री उदय राम	25290
8	मनरेगा		3668/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु शेड बाबुराम पुत्र श्री हेत राम	23040
9	मनरेगा		3669/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु शेड नरेन्द्र पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	21600
10	मनरेगा		3670/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 सुरक्षा दिवार बहीदुर सिंह पुत्र श्री नहान्दु	30720
11	मनरेगा		3671/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु शेड कमलदेव पुत्र श्री मोहन	26880
12	मनरेगा		3672/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु शेड जोगीन्द्र सिंह पुत्र बानु राम	19200
13	मनरेगा		3673/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु शेड राजेन्द्र पुत्र श्री रूप सिंह	30720
14	मनरेगा		3674/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु शेड कल्याण सिंह पुत्र श्री कान्शी राम	21600
15	मनरेगा		3664/ 10-01-24	मस्ट्रौल भुगतान	नि0 पशु शेड अमर सिंह पुत्र श्री सोहजा राम	25200
			कुल			338817

पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान का विवरण

परिशिष्ट-8

क्रम	योजना	वाउचर सं0 / दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/1 01-06-22	मानदेय टेलरिंग टीचर	13600
2	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/2 01-06-22	मानदेय पंचायत चौकिदार	11200
3	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/3 01-06-22	वर्दी पंचायत चौकिदार	1680
4	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/23 16-06-22	मानदेय टेलरिंग टीचर व पंचायत चौकिदार	12400
5	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/23 16-06-22	मानदेय पंचायत पदाधिकारी	21000
6	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/24 16-06-22	मानदेय पंचायत पदाधिकारी	15000
7	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/27 17-06-22	मानदेय टेलरिंग टीचर व पंचायत चौकिदार	17800
			कुल	**92680**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P Sangrah
फोन-9736161012

व्यक्ति/फर्म/संविदकार से अपेक्षित जी०एस०टी टी०डी०एस कटौती राशिका विवरण परिशिष्ट- 9

क्रम	योजना	वाउचर सं0 / दिनांक	कार्य का नाम	बिल सं0	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि (₹)	टी0डी0एस कटौति दर	अपेक्षित कटौति (₹)
1	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/9 01-06-22	नि0 फुटब्रिज पालर खड	GST/2021-22/1405	14-03-2022	महासू ट्रेडर्स	सरीया, आदि	305190	2%	6104
2	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/16 02-06-22	नि0 शमशान घाट एस0सी बस्ती डकान	SNG/12/22-23	22-04-2022	महासू ट्रेडर्स	सरीया, आदि	248047	2%	4961
3	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/12 02-06-22	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	77	30-03-2021	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	जे0सी0बी कार्य	500000	2%	10000
4	15 वां वित्त आयोग	OWN/2022-23/P/16 02-06-23	नि0 लिंक रोड मुर्दाघर हस्पताल	81	24-02-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	जे0सी0बी कार्य	20000	2%	400
5	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/16 02-06-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	925	06-10-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	रेत	48000	2%	960
				928	04-09-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	रेत	48000	2%	960
				927	17-09-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	बजरी	18000	2%	360
6	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/52 09-01-24	नि0 लिंक रोड टिक्करी मोड शलाह	83	03-01-2024	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	जे0सी0बी कार्य	43660	2%	873
				82	03-01-2024	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	जे0सी0बी कार्य	47200	2%	944
7	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/53 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	926	09-09-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	बजरी	63000	2%	1260
				925	02-08-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	सिमेंट ढुलाई	18000	2%	360
				कुल						27182

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- G.P. Sangrah
फोन-9736161012

रॉयल्टी से संबंधित फॉर्म 'X' या 'Y' प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को भुगतान का विवरण परिशिष्ट-16

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशी (₹)
1	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/18 02-06-22	नि० शमशान घाट एस०सी बस्ती डकान	303	10-05-2022	श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	रेत व बजरी	38400
2	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/20 02-06-22	नि० लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	56	20-05-2022	राधा रमण	रेत	36000
				57	22-05-2022	राधा रमण	बजरी	57600
3	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/61 01-01-24	नि० सुरक्षा दिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियुन	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री लेखराम पुत्र श्री मोही राम	पत्थर	30000
4	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/63 03-01-24	मु० जोहड रावलागढ	527		श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	पत्थर	5000
				526	02-07-2023	श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	रेत व बजरी	19500
5	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/51 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	925	06-10-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	रेत	48000
				928	04-09-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	रेत	48000
				927	17-09-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	बजरी	18000
6	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/53 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	926	09-09-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	बजरी	63000
7	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/66 10-01-24	नि० सुरक्षा दिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियुन	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री लेखराम पुत्र श्री मोही राम	पत्थर	20000
				कुल				**383500**

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर

निर्माण सामग्री से अपेक्षित वॉइड (Voids) की कटौती

परिशिष्ट- 19 ||

क्रम	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्ति कर्ता	सामग्री	मात्रा (M^3)	दर (₹/ M^3)	कटौती दर	अपेक्षित कटौती (M^3)	कटौती राशी (₹)
1	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/18 02-06-22	नि० शमशान घाट एस०सी बस्ती डकान	303	10-05-2022	श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	बजरी	9	2400	10%	0.9	2160
2	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2022-23/P/20 02-06-22	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	57	22-05-2022	राधा रमण	बजरी	24	2400	10%	2.4	5760
3	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/61 01-01-24	नि० सुरक्षा दिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियुन	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री लेखराम पुत्र श्री मोही राम	पत्थर	15	2000	12.50%	1.875	3750
4	15 वां वित्त आयोग	XVFC2023-24/P/63 03-01-24	मु० जोहड रावलागढ	527		श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	पत्थर	5	1000	12.50%	0.625	625
				526	02-07-2023	श्रीमति सावित्री देवी ठाकुर	बजरी	4	3000	10%	0.4	1200
5	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/51 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	927	17-09-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	बजरी	6	3000	10%	0.6	1800
6	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/53 09-01-24	नि0 लिंक रोड गर्ल्स हॉस्टल सेवाया से मिनी सचिवालय	926	09-09-2023	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर	पत्थर	15	3000	10%	1.5	4500
7	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/ General)	OWN/2023-24/P/66 10-01-24	नि० सुरक्षा दिवार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियुन	भुगतान रसीद की ऐवज में किया गया		श्री लेखराम पुत्र श्री मोही राम	पत्थर	10	2000	12.50%	1.25	2500
						कुल						22295

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत्त सिरमौर
कैम्प- G.P. Sangrah
फोन-9736161012